पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 512/1819025 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(निरीक्षण-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 07, अगस्त, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र सं0-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2017-18)-टैक्स आडिट// 118//वाणिज्य कर, दिनांक 03-05-2017, के क्रम में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-44 तथा वैट नियमावली के नियम-43 में नक्शों की शुद्धता का परीक्षण एवं आई0टी0सी0 आदि की सत्यता की जांच करने के उद्देश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। टैक्स आडिट हेतु कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के व्यापारियों का चयन निर्धारित मानक के आधार पर साफ्टवेयर तैयार कराया गया है।

S.No.	Parameters
1	Challan amount equal zero
2	Tax Turnover ratio less than 0.5%
3	Rise in Tax/Rise in sale
4	Change in pattern of Tax invoice Purchases made
5	Change in the pattern of purchases made from the unregistered dealer
6	Change in the Range of turnover
7	Change in the sale pattern of the dealer
8	Turnover of Purchases through Form 38
9	Comparative E Sancharan increase
10	Concessional Sale/Ex UP Purchase
11	Form F to total sale
12	Tax Paid/Admitted tax
13	Not migrated in G.S.T.
14	Differences in Interstate purchase declared in e-return and particulars of E-Sancharan
15	Esancharan which amount is > 5000000
16	Form 21 which amount is > 5000000
17	Turnover > 50000000
18	Dealers'of Corporate circle
19	Dealers deals in Sensitive commodities
20	Turnover > 20000000 and Manufacturer

2- टैक्स आडिट हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर ही साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर चयनित व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वा0कमि0 (टैक्स आडिट) के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(i) सर्वप्रथम विभागीय बेवसाइट htt;//comtax.up.nic.in में Departmental services में MIS Report पर उपलब्ध Officer Login For MIS Report पर क्लिक किया जायेगा।

(ii) ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।

(iii) अब ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।

(iv) इसके पश्चात Menu पर उपलब्ध Tax Audit बटन पर क्लिक किया जायेगा।

(v) लॉग इन के पश्चात सम्भाग से सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों की पृथक-पृथक अथवा समेकित रिपोर्ट डाउन लोड की जा सकती है।

(vi) माड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उक्त मानकों के आधार पर स्वत: ही टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ii) में वांछित व्यापारियों का चयन होकर सूची उपलब्ध हो जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों की प्राप्त सूची में से निम्न श्रेणियों के व्यापारियों को छोड़कर शेष के सम्बन्ध में टैक्स आडिट किये जाने की अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

1- पेट्रोल पम्प संचालक व्यापारी।

2- हकदारी प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष भी चयन टैक्स आडिट हेतु हुआ है।

3- करमुक्त वस्तु की खरीद करके, करमुक्त वस्तु की बिक्री।

4- ऐसे व्यापारी, जिनका वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ से कम है।

4- टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में I.T.C. का सत्यापन अथवा अन्य किसी जॉच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को कोई निर्देश नही दिया जायेगा, अपितु समस्त जॉच टैक्स आडिट अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी। इसका शत प्रतिशत अनुपालन जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, यदि कुछ ऐसे व्यापारियों का टैक्स ऑडिट कराना चाहते हैं, जिनका चयन साफ्टवेयर द्वारा नहीं किया गया है तो टैक्स आडिट किये जाने हेतु कारण सहित व्यापारियों की सूची ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) को प्रेषित कर सकते है, लेकिन उसकी सूचना मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित की जायेगी।

6- सभी ज्वाइण्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निम्न प्रारुप में विवरण मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।

	टैक्स ऑडिट हेतु चयनित वाद वर्ष 2016-17	माह में निस्तारित वाद	माह तक निस्तारित वाद	माह में प्रतिकूल मामले	माह तक प्रतिकूल मामले	माह में जॉच में पकड़ा गया अपवंचित कर /ITC	माह तक जॉच में पकड़ा गया अपवंचित कर /ITC
1	2	3	4	5	6	7	8
ज्वाइण्ट कमिश्नर							
डिप्टी कमिश्नर							
असिस्टेण्ट कमिश्नर							

7- प्रत्येक माह में टैक्स आडिट जांच के समय पकड़े गए 02 महत्वपूर्ण मामलों का संक्षिप्त विवरण मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट) कर निर्धारण आदेश का अध्ययन करते हुए यह देखेंगे कि इसमें टर्नओवर एवं कर का निर्धारण आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुरुप किया गया है, अथवा नहीं।

9- टैक्स ऑडिट मैनुअल के अध्याय-4 के प्रस्तर- 1, 2, 3 में वर्णित कार्य एवं दायित्व के अनुसार ज्वाइण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा टैक्स ऑडिट का कार्य किया जायेगा।

10- ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट) से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने स्तर से मामले का परीक्षण करेंगे एवं कर निर्धारण अधिकारी को विधि अनुकूल कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगें तथा कोई अनियमितता पाये जाने पर अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लेगें।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष-2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के ऐसे प्रतिकूल पाये गये समस्त मामलों में निम्न प्रारुप में दिनांक 16-08-2018 तक वर्षवार सूचना मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग की मेल आई0डी0-jcinspectionhqlu.up@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

-: प्रारुप :-

1	2	3	4	5
क्रमांक	कर निर्धारण वर्ष	कुल चयनित टैक्स आडिट व्यापारियों की संख्या	प्रेषित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रतिकूल मामलों की संख्या	कालम-4 में से टैक्स आडिट रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के प्रतिकूल किये जाने वाले कर निर्धारण आदेशों की संख्या (व्यापारीवार पूर्ण विवरण संलग्न किया जाय)

11- यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों को, उनका चयन कर निर्धारण वर्ष-2016-17 के टैक्स आडिट हेतु किये जाने विषयक सूचना, दिनांक 16-08-2018 से पूर्व संबधित कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराते हुए इस सम्बन्ध में टैक्स आडिट मैनुअल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

16/8

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, शासन।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार व्यापारियों का चयन कर समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार शुक्ल)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।